निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 55/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

राकेश स्वामी पुत्र श्री बालक दास स्वामी निवासी ग्राम चावण्डिया, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री विश्वामित्र मीणा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर।

2 तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

3 विकास अधिकारी, पंचायत समिति आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

4 ग्राम पंचायत चावण्डिया, पंचायत समिति आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 119/2021 ब उनवानी राकेश कुमार बनाम सरकार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः—

1. श्री राकेश कुमार स्वामी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

निर्णय **दिनांक 05.05.2022**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 119/2021 ब उनवानी राकेश कुमार बनाम सरकार व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।
3. बहस एक पक्षीय सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्त वाद में विवादित भूमि वर्तमान में राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके एकीकरण के सम्वत 2019 में सिवायचक बिना लगानी दर्ज रिकार्ड करवा दी गई इससे पूर्व शमशान दादू पंथीं स्वामियान रिकार्ड था । यह भूमि मेरे पूर्वजों के शमशान तथा समाधियों के रूप में कार्य में ली जाती रही है, इसमें मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापित हनुमान जी का मन्दिर स्थित है। प्रार्थी के उक्त जमीन पर शुरू से ही गांव के बहुसंख्यक तथा प्रभावशाली एक परिवार की निगाह रही है, उन्होंने वर्ष 1978 में भी नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया था जिसको उच्च स्तर पर शिकायत कर बेदखल करवाया गया । वर्ष 1980, 1986 एवं 1987 में पुनः उक्त प्रकार की कार्यवाही की गई एवं

कलक्टर
पुर

हमारी अन्य इससे लगते हुए खसरा नम्बर 61 को जो कि हमारे ही कब्जा काश्त में थी, उसमें चार बीघा जमीन महादेव पुत्र श्री चतरू मीणा को आवंटित करवा दी गई । जिसका पता लगने पर उक्त आवंटन को खारिज करवा दिया गया जिसका वाद राजस्व मण्डल में विचाराधीन है । खसरा नम्बर 61 की 2 बीघा जमीन को इन्होंने राजकीय चिकित्सालय चावण्डिया के नाम आवंटित करवा दिया जिसको हमने वर वक्त भी प्रशासन को जानकारी दी गई, परन्तु मिलीभगत कर की गई शिकायतों को गायब कर उक्त 2 बीघा पर चिकित्सालय का निर्माण कार्य करवा दिया। प्रार्थी का परिवार एक छोटा परिवार है तथा यह बाहूबली व्यक्ति अपने बाहूबल के आधार पर उक्त खसरा नम्बर की जमीनो को गलत तरीके से भू–प्रबन्ध विभाग से मिलीभगत करके नक्शे की तरमीम को खसरा नम्बर 61 में आवंटित की गई चिकित्सालय की जमीन में सरका दिया एवं खसरा नम्बर 60 में इन लोगों ने गैर मुमकिन बगीची रिकार्ड दर्ज करवा दिया, ताकि शमशान की एन्ट्री पूर्णतया गायब हो जावे और यह दिखा दिया गया यह बगीची हनुमान मन्दिर के ही कार्य आ रही है जिसकी आड में ग्राम पंचायत के द्वारा अभी जलदाय विभाग की पानी की टंकी इस भूमि में ग्राम पंचायत के द्वारा पास करके प्रस्ताव जलदाय विभाग जमवारामगढ को भिजवा दिया गया जबकि उक्त जमीन पर स्थगन 119/2021 के द्वारा जारी है। उक्त प्रभावशाली एवं बाहूबली व्यक्तियों ने मुझे डाराया एवं धमकाया कि तेरा स्थगन एक तरीख में उड़वा देंगे और अपना व अपने परिवार का भला चाहता है तो स्थगन वापस ले ले। उक्त खसरा नम्बर 60 का मेरे द्वारा किया गया वाद केवल एतिहासिक विरासत को जिन्दा रखने के लिए तथा संत महापुरूषों की 500 वर्ष पुरानी समाधियों, छतरियॉ एवं चरण चबूतरे बने हुए है जिनकी रक्षा करने के लिए इसका रिकार्ड राजपरिवार जयपुर के द्वारा पूर्व में दी गई जमीन जो कि सम्वत 1925 में मसाण वाली पाटी के नाम से दर्ज थी। इसका मतलब शमशान दादूपंथी स्वामियान दर्ज रिकार्ड दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होगा। जो कि यह एक सार्वजनिक प्रयोजन है । हमारे इस खसरा नम्बर में कोई व्यक्तिगत अधिकार बाबत हम यह रिकार्ड दुरस्त नहीं करवा रहे है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के यहां वर्तमान में चल रहे वाद को किसी अन्य उपखण्ड अधिकारी जिला जयपुर में स्थानान्तरण करने के आदेश फरमावें। अन्यथा जाति विशेष से सबंधित अधिकारी तथा राजनिति से जुड़े हुए लोग नाजायज रूप से वाद तथा स्थगन को प्रभावित कर सकते है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को जमवारामगढ से अन्यत्र स्थान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 119/2021 ब उनवानी राकेश कुमार बनाम सरकार व अन्य को न्यायालय पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक

कलक्टर
पुर

23.05.2022 को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) में उपस्थित हो।

8. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ एवं न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर